

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-356/2018

1. गुरुदेव कुमार पुत्र मनफूलराम जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम्

1. गिरधारी पुत्र मनफूलराम जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बनारसीदेवी पुत्री मनफूलराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी 12 केएनडी रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील सुभाषचन्द्र गर्ग वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी गुरुदेव कुमार को चक नं० 2 एफटीपी के प०न० 222/230 मु० 18 किला नं० 3,4/.506,5/.215,6/.215, 7/.253,15/.215 है० तथा प्रतिवादी सं० 1 गिरधारी को चक नं० 1 एफटीपी बी के प०न० 204/234 मु० 44 किला नं० 10,11,12,19,20/1/.102, 22 कुल 1.367 है०, चक नं० 2 एफटीपी के प०न० 222/229 मु० 11 किला नं० 24/.062 है० तथा वादी गुरुदेव कुमार, प्रतिवादी सं० 1 गिरधारी व प्रतिवादीया सं० 2 बनारसी देवी को ब०हि०ब० चक नं० 2 एफटीपी के प०न० 222/229 मु० 11 किला नं० 17/1/.042, 18/.253, 23/.253 24/.191 है० कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता अलग कर रकम राज अलग से कायम करने व चक नं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 64/64 व चक नं० 2 एफटीपी के खाता सं० 60/104 में से मनफूल पुत्र लाधूराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 2).....1).....18).....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2).....1).....18).....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी